न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी(पाली)

पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत (RAS)

राजस्व विविध मुकदमा संख्या–19/2019
आरसीएमएस– 2019/00084
तारीख निर्णय–15/7/2020

प्रार्थी :–

1. जेठीबाई पत्नी स्वर्गीय मेघाराम उम्र– 70 वर्ष
2. पेपी पुत्री स्वर्गीय मेघाराम उम्र– 46 वर्ष
3. केसी पुत्री स्वर्गीय मेघाराम उम्र– 44 वर्ष
4. पुनाराम पुत्र स्वर्गीय मेघाराम उम्र– 39 वर्ष
5. गीता पुत्री स्वर्गीय मेघाराम उम्र– 37 वर्ष
6. अशोक पुत्र स्वर्गीय मेघाराम उम्र– 33 वर्ष
7. सीता पुत्री स्वर्गीय मेघाराम उम्र– 32 वर्ष

जातिगण–कुम्हार, निवासीगण–नारलाई तहसील–देसूरी जिला–पाली(राज.)

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये–तहसीलदार, देसूरी (लैण्ड होल्डर)

–: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136राज0भू–राजस्व अधि0 1956:–

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से– वकील सुधीर कुमार श्रीमाली।
अप्रार्थी की ओर से– सरकारी पैरोकार तहसीलदार देसूरी

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

–: निर्णय :– दिनांक–15/7/2020

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि– प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा– 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना–इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सरहद गॉव– नारलाई पटवार हल्का–नारलाई, तहसील–देसूरी जिला–पाली के नये खसरा नम्बर 855 रकबा 0.5000 हैक्टर किस्म चाही सोयम जाव सोयम, खसरा नम्बर 856 रकबा 0.7300 हैक्टर किस्म चाही सोयम जाव सोयम खसरा नम्बर 857 रकबा 0.3100 हैक्टर किस्म चाही सोयम जाव सोयम, खसरा नम्बर 858 रकबा 0.1000 हैक्टर किस्म चाही सोयम जाव सोयम, खसरा नम्बर 859 रकबा 0.1000 हैक्टर किस्म चाही सोयम जाव सोयम, खसरा नम्बर 860 रकबा 0.5200 हैक्अर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 861 रकबा 0.0100 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 862

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:29 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

रकबा 0.1400 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन सडा, खसरा नम्बर 863 रकबा 0.3400 हैक्टर किस्म चाही सोयम जाव सोयम, खसरा नम्बर 864 रकबा 0.9700 हैक्टर किस्म चाही सोयम जाव सोयम, खसरा नम्बर 885 रकबा 0.1800 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन, खसरा नम्बर 898 रकबा 0.5800 हैक्टर किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 4.4800 हैक्टर कृषि भूमि हम प्रार्थीगण के पति/पिता स्वर्गीय मेघाराम पुत्र नाथाराम जी जाति–कुम्हार व अन्य सहखातेदारान की सयुंक्त खातेदारी व आधिपत्य की विद्यमान है।

उक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकोर्ड में सेटलमेन्ट के पूर्व हम प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम मेगा पुत्र नाथाराम जाति–कुम्हार निवासी–नारलाई दर्ज था। दौराने सेटलमेन्ट के सेटलमेन्ट अधिकारियों ने बिना किसी अधिकारिता के सेवन से हम प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम मगा पुत्र नाथाराम कुम्हार निवासी–नारलाई दर्ज कर दिया। जिस कारण वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में मगाराम पुत्र नाथारामजी दर्ज हो गया है। जिसका अधिकार सेटलमेंन्ट अधिकारियों को नहीं था। जिससे उक्त संशोधन मेगाराम(मेघाराम) पुत्र नाथारामजी दर्ज किया जाना आवश्यक है।

हम प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम मेघाराम पुत्र नाथाराम जाति–कुम्हार निवासी–नारलाई है। मुझ प्रार्थी जेठी बतौर पत्नी के भामाशाह कार्ड में प्रर्थीगण के पति/पिता का नाम मेघाराम दर्ज है। हम प्रार्थीगण के पति/पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र में भी हम प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम मेघाराम पुत्र नाथाराम ही दर्ज है। हम प्रार्थीगण के आधार कार्ड में हम प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम मेघाराम दर्ज है। जिससे वास्तविकता व सत्यता अनुसार राजस्व रिकोर्ड में हम प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम मेगाराम (मेघाराम) पुत्र नाथाराम दर्ज किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र का हेतुक प्रार्थीगण के पति/पिता का स्वर्गवास दिनांक 19/04/2016 को होने से प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत नारलाई से वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 06.03.2019 को प्राप्त करने पर एवं उसके बाद फौतेदगी नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु पटवारी व अप्रार्थी से सम्पर्क करने के बावजूद पूराने राजस्व रिकोर्ड की प्रमाणित प्रतिया दिनांक 22.08.2019 को प्राप्त होने पर प्रार्थीगण का हेतुक विरूद्ध अप्रार्थी के उत्पन्न हुआ है। जिससे प्रार्थना पत्र अन्दर अवधिकाल पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम नारलाई पटवार हल्का नारलाई के नये खसरा नम्बर 855 से 864, 885 898 कुल रकबा 4.4800 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकोर्ड में हम प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम मगाराम पुत्र नाथाराम के स्थान पर मेगाराम (मेघाराम) पुत्र नाथाराम जाति–कुम्हार दर्ज किया जावे। तदनुसार संशोधन का राजस्व रिकोर्ड में अमल में लिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:44:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। बाद तलबी के

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

न्यायालय– सहायक कलेक्टर (एस0डी0ओ) देसूरी राजस्व विविध संख्या–19/2019 जेठीबाई व अन्य बनाम– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, देसूरी

अप्रार्थी सरकारी पैरोकार तहसीलदार देसूरी की ओर से जवाब पेश किया। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नये खसरा नम्बर 855 से 864, 885 898 कुल रकबा 4.4800 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकोर्ड मगाराम पुत्र नाथाराम जाति–कुम्हार दर्ज है। गत रिर्कोर्ड मे मेगा पुत्र नाथा दर्ज है। अतः पुराने रिकोर्ड के अनुसार प्रार्थी के पति/पिता के नाम मेघाराम(मेगाराम) पुत्र नाथाराम दर्ज किया जावे तो कोई आपत्ति नही है। रिपोर्ट अनुशंषा सहित प्रस्तुत है।

बहस वकुलाय उभय पक्षकार सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। परिशोधन पत्र भु–प्रबन्ध विभाग संवत् 2041–60 के अनुसार प्रार्थीगण के पति/पिता के नाम मेगा पुत्र नाथा दर्ज था। दौराने सेटलमेन्ट के सेटलमेन्ट अधिकारियों ने बिना किसी अधिकारिता के सेवन से प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम मगा पुत्र नाथाराम कुम्हार निवासी–नारलाई दर्ज कर दिया। जिस कारण वर्तमान राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी सवत् 2073–2076 में प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम मगाराम होना जाहिर होता है। तथा प्रार्थीगण प्रस्तुत प्रार्थीगण के पति/पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र में मेघाराम दर्ज है।

अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण से न्यायालय की राय मे पुराने रिकार्ड से नया रिकार्ड तैयार करते समय कर्मचारियो/अधिकारियो की इन्द्राज संबंधित लिपिकीय त्रुटी एवं भूल व गलति से '' मेगाराम (मेघाराम) पुत्र नाथाराम '' की बजाय '' मगाराम पुत्र नाथाराम '' यानि '' मेगाराम '' के स्थान पार '' मगाराम'' अंकित हो गया है अतः धारा– 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत उक्त इन्द्राज संबंधित त्रुटी एवं गलति को दुरूस्त संशोधित किया जाना न्याय संगत है एवं प्रार्थीगण का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

–: आदेश :–

अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्रहस्ब धारा– 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती हेतू आदेश दिया जाता है कि– मौजा सरहद गॉव–नारलाई पटवार हल्का–नारलाई, तहसील–देसूरी जिला–पाली के नये खसरा नम्बर 855 रकबा 0.5000 हैक्टर किस्म चाही सोयम जाव सोयम, खसरा नम्बर 856 रकबा 0.7300 हैक्टर किस्म चाही सोयम जाव सोयम, खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.3100 हैक्टर किस्म चाही सोयम जाव सोयम, खसरा नम्बर 858 रकबा 0.[illegible]00 हैक्टर किस्म चाही सोयम जाव सोयम खसरा नम्बर 859 रकबा 0.1000 हैक्टर किस्म चाही सोयम जाव सोयम, खसरा नम्बर 860 रकबा 0.5200 हैक्अर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 861 रकबा 0.0100 हैक्टर

पेज लगातार 04 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 862 रकबा 0.1400 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन सडा, खसरा नम्बर 863 रकबा 0.3400 हैक्टर किस्म चाही सोयम जाव सोयम, खसरा नम्बर 864 रकबा 0.9700 हैक्टर किस्म चाही सोयम जाव सोयम, खसरा नम्बर 885 रकबा 0.1800 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन, खसरा नम्बर 898 रकबा 0.5800 हैक्टर किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 4.4800 हैक्टर कृषि भूमि कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे दर्ज खातेदार का नाम '' मगाराम '' के स्थान पर दुरूस्ती कर '' मेगाराम (मेघाराम) '' अंकन किया जावे यानि '' मगाराम पुत्र नाथाराम '' के स्थान पर '' मेगाराम (मेघाराम) पुत्र नाथाराम ''दर्ज किया जावे। तहसीलदार, देसूरी को माफीक आदेश दुरूस्ती कर पालना रिर्पोट प्रस्तुत करने हेतू अलग से तहरीर जारी की जावे।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक 15/7/2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:29 IST
Reason: SelfAttested